न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 193/2026 पुलिस थाना कानोता जयपुर पूर्व
जमानत आवेदन संख्या 95/2026
सी.आई.एस. नं. 93/2026

श्रीमती कोमल सांसी पुत्री श्री धन्ना सांसी, उम्र 25 साल, निवासी ब्लॉक नं. 111 क्वार्टर नं. 03 राजीव आवास योजना बगराना, पुलिस थाना कानोता, जिला जयपुर पूर्व।

.....अभियुक्ता/प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य

अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 111(4) बीएनएस

उपस्थिति :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु चौधरी प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से उपस्थित।

: आदेश : दिनांक : 04.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 01.04.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.03.2026 को मन आई/सी थाना मनोज कुमार उनि मय जाप्ता प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बॉक्स के थाना हाजा से रवाना होकर गश्त निगरानी बदमाशान करता हुआ लखेसरा रोड आशियान जेडीए कॉलोनी बगराना के पास बने पार्क की पानी की टंकी के नीचे बैठी हुई नजर आई जो बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर अचानक मुडकर तेज–तेज कदमों से वापिस जाने लगी। उक्त महिला के पास संदिग्ध वस्तु होना प्रतीत होने पर उक्त महिला को ज्यो का त्यो उसी

अवस्था में बैठने के लिए कहा गया एवं महिला कानि पिस्ता द्वारा उक्त महिला से नाम पता पूछा गया तो उक्त महिला द्वारा अपना नाम श्रीमती कोमल सांसी होना बताया तथा उक्त महिला द्वारा अपने पास मादक पदार्थ स्मैक होना बताया। उक्त महिला कोमल सांसी के कब्जे में मिले मादक पदार्थ स्मैक को अनुसंधान बॉक्स में रखे इलेक्ट्रोनिक कांटे से तोल किया गया तो उक्त मादक पदार्थ पारदर्शी प्लास्टिक थैली सहित कुल 1.15 ग्राम होना पाया गया। उक्त महिला से उक्त मादक पदार्थ स्मैक का अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने बाबत् अनुज्ञापत्र/लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जिसके आधार पर उक्त महिला कोमल सांसी का बिना अनुज्ञापत्र के अवैध मादक पदार्थ स्मैक अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करना अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में पाया गया।.....इत्यादि। जिस पर पुलिस थाना कानोता में मुकदमा संख्या 193/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 111(4) बीएनएस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में निराधार फंसाया गया है। प्रार्थीया को एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना कर प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थीया से जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा के अनुसार प्रार्थीया का उक्त कृत्य जमानती अपराध में आता है। प्रार्थीया से उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की ना तो कोई बरामदगी हुई है और ना ही कोई ऐसा सुसंगत तथ्य ही प्रार्थीया की लिप्ता को जाहिर करता हो, रिकॉर्ड पर है। प्रार्थीया के विरूद्ध कथित आरोपों में आजीवन कारावास एवं मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान नहीं है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया/अभियुक्ता को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. दूसरी ओर विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्ता अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों का विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया/अभियुक्ता

के विरूद्ध निम्नलिखित आपराधिक रिकॉर्ड है :–

क्र.सं.	प्रकरण सं0	दर्ज धारा	थाना	नतीजा
1.	147/2022	8/2021 एन.डी.पी.एस एक्ट	कानोता	65/2022
2.	71/2026	19/54 आबकारी अधि.	कानोता	55/2026
3.	533/19	307, 392, 323, 341, 120 बी भा.द.स.	शिवदासपुरा	133/21

6. केस डायरी का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि मुलजिमा पर अपने कब्जे में अवैध मादक पदार्थ स्मैंक प्लास्टिक थैली सहित कुल 1.15 ग्राम रखने का आरोप है। यह सही है कि मुलजिमा के विरूद्ध पूर्व के 3 आपराधिक मामले है परंतु अभियुक्ता एक महिला है जो कि करीब 2 माह से न्यायिक अभिरक्षा में चल रही है। अनुसंधान में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीया का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्ता श्रीमती कोमल सांसी पुत्री श्री धन्ना सांसी की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थीया/अभियुक्ता को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश,बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।

8. आदेश आज **दिनांक 04.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी,
जयपुर महानगर–प्रथम।